

परिशिष्ट-6

((प्रपत्र-‘ब’) ‘पृष्ठ 4/4)

भाग-द

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग ‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — — — पर
निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — — —
(पदनाम) — — — — — विकास परिषद द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य परिषद द्वारा दिनांक
— — — — — को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना
और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता
है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक